

संख्या: फिश- ए (8)-1/2020
हिमाचल प्रदेश सरकार,
मत्स्य पालन विभाग।

Directorate of Fisheries

5/92
20 JUL 2022

Bilaspur (H.P.)

प्रेषक:

सचिव (मत्स्यपालन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

✓ निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य,
हिमाचल प्रदेश,
बिलासपुर-174001.

दिनांक शिमला -2,

22nd जुलाई, 2022

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन दिनांक
01/04/2021 से 31/03/2021 तक भेजने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र संख्या : फिश-ए (8) -6/2021-
एस.ए-III- 7088, दिनांक 04 जुलाई, 2022 के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके
द्वारा तैयार उक्त वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन अनुमोदित कर दिया गया है, जिसकी एक प्रति
वापिस की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में आगामी आवश्यक कार्रवाई तदनुसार
करते हुये उक्त प्रतिवेदन की 10 स्वच्छ प्रतियाँ शीघ्र इस विभाग को भेजी जाये, ताकि इसे समय
पर हि0प्र0 विधान सभा को भेजा जा सके।

28/7

A.D.F 20PP

28/7/22


भवदीया,

(उर्मिला गुप्ता),

संयुक्त सचिव (मत्स्य पालन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।



वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन **2021-2022**






मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश
बिलासपुर- 174001

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विषय	पृ० सं०
1.	पुर्वावलोकन	1-2
2.	विभाग का संरचनात्मक ढांचा	2-6
3.	वार्षिक योजना 2021-22 के लक्ष्य एवं प्राप्ति	7-8
4.	विभागीय उद्देश्य	9-9
5.	वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां	10-12
6.	वार्षिक योजना 2021-22	12-13
7.	निर्देशन एवं प्रशासन	14-14
8.	प्रमुख विभागीय योजनाएं	14-28
9.	विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं	28-33
10.	प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार	33-34
11.	वर्ष 2021-22 के वित्तीय प्रावधान	34-35
12.	सूचना का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 खण्ड 4 (1) (बी) के अन्तर्गत सूचना	35-38
13.	अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य	38-66

पुर्वावलोकन

हिमाचल प्रदेश में मात्स्यिकी विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में हुई। इससे पूर्व वन विभाग का एक विंग मत्स्य विभाग के कार्य की देख-रेख कर रहा था तत्पश्चात प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास व दोहन करके विभाग स्वतन्त्र रूप से प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जल प्रदान किया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी क्षेत्रों से गुजरती हुई मैदानों में जाती है और इन नदियों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती हैं। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वाकांक्षी इण्डो-नौरविजियन ट्राउट फार्मिंग परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, कोलडैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई हैं। प्रदेश में निम्नलिखित जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया गया :-

	शीत जल	:	द्राऊट जल 600 कि०मी०
	सामान्य जल	:	2400 कि०मी०
	जलाशय जल स्रोत	:	43785 हैक्टेयर
	तालाबों एवं छोटे चश्मों के रूप में सामान्य जलक्षेत्र :		869.24 हैक्टेयर
	ठण्डे क्षेत्रों की प्राकृतिक झीलें एवं निर्मित तालाब :		617 हैक्टेयर

2

विभाग का संरचनात्मक ढांचा

हिमाचल प्रदेश मात्स्यिकी विभाग में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य (विभागाध्यक्ष) व संयुक्त निदेशक मत्स्य (मु०) के अतिरिक्त 2 उप-निदेशक मत्स्य, 08 सहायक निदेशक मत्स्य, 7 वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, 02 सांख्यिकी सहायक व 17 मत्स्य अधिकारी अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ कार्य निष्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान श्री वीरेन्द्र कंवर, माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्य पालन मन्त्री के रूप में, डा० एस० एस० गुलेरिया, सचिव (मत्स्य), के रूप में विभाग के मार्गदर्शक तथा श्री सतपाल मैहता, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य व श्री योग राज संयुक्त निदेशक मत्स्य (मु०) के रूप में कार्यरत रहे। निदेशालय स्तर पर श्री सुशील जनार्थ, उप-निदेशक मुख्यालय, श्री पंकज ठाकुर सहायक निदेशक मत्स्य मुख्यालय, श्रीमति चंचल ठाकुर सहायक निदेशक मत्स्य-20 सूत्रीय कार्यक्रम, श्री जगदीश चंद अधीक्षक ग्रेड-I, श्री विशाल गुप्ता व श्री अशोक कुमार सांख्यिकी सहायक मुख्यालय, समस्त तैनात कर्मचारी वर्ग के

साथ तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुल्लू में उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल व अन्य जिलों में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहे। केवल जिला हमीरपुर में यह कार्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य की देखरेख में, जिला किन्नौर में मत्स्य अधिकारी, सांगला द्वारा तथा जिला लाहौल व स्पिति में विभाग का कोई अधिकारी तैनात न होने के कारण यह कार्य लाहौल में वन मण्डल अधिकारी द्वारा तथा पांगी एवं स्पिति में सहायक निदेशक पशु पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया।


वर्ष 2021-22 में उपलब्ध विभागीय संरचना

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री वीरेन्द्र कंवर	माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्यपालन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
2.	डा० एस० एस० गुलेरिया	सचिव (मत्स्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
3.	श्री सतपाल मैहता	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर।
4.	श्री योग राज	संयुक्त निदेशक मत्स्य (मु०), हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर।
5.	श्री सुशील जनार्थ	उप-निदेशक मत्स्य (मु०), मत्स्य निदेशालय बिलासपुर, हि०प्र०।
6.	श्री महेश कुमार	उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
7.	श्री हमीर चन्द	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला शिमला, हि०प्र०।
8.	श्री खेम सिंह ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०।
9.	श्री भूपेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला चम्बा, हि०प्र०।
10.	श्री श्याम लाल शर्मा	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।

11.	श्री जय सिंह	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंग डैम, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार)
12.	श्री जय सिंह	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
13.	श्री पंकज ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, (मु०) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर, हि०प्र०।
14.	श्रीमति चंचल ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, (बीस सूत्रीय कार्यक्रम) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर, हि०प्र०।
15.	डॉ० सोम नाथ	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला सोलन, हि०प्र०।
16.	डॉ० सोम नाथ	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार)
17.	श्री विवेक शर्मा	कार्यकारी सहायक निदेशक मत्स्य, जिला ऊना, हि०प्र०।
18.	श्री विवेक शर्मा	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, दयोली गगरेट, जिला ऊना, हि०प्र०।
19.	श्रीमति नीतू सिंह	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, जिला हमीरपुर, हि०प्र०।
20.	श्री संदीप कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म दयोली बिलासपुर, हि०प्र०।
21.	डॉ० राकेश कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर, स्थित कार्प फार्म कांगड़ा, हि०प्र०।
22.	श्री अरुण कान्त	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
23.	श्रीमति रिचा गुप्ता	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
24.	श्री अजय कुलदीप	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म नालागढ़, हि०प्र०।
25.	श्री राम सिंह	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जडडू जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
26.	श्री राजेन्द्र पाल	मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि०प्र०।

27.	श्री दुनी चन्द	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म हामणी, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
28.	श्री सुरेन्द्र कुमार पटियाल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, लठियाणी, जिला ऊना, हि०प्र०।
29.	श्री हितेश कुमार कौण्डल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, कसोल, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
30.	श्री तेजराम	मत्स्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०।
31.	श्री प्रीतम चन्द	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, संधारा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
32.	श्री मनजीत सिंह	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, नगरोटा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
34.	श्री विजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
35.	श्री प्रदीप कुमार	मत्स्य अधिकारी, सुन्नी, जिला शिमला, हि०प्र०।
36.	श्री विमल गुलेरिया	मत्स्य अधिकारी, बरोट, जिला मण्डी, हि०प्र०।
37.	श्री विकास चन्द्रा	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म थला, जिला चम्बा, हि०प्र०।
38.	श्री अजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
39.	श्री राकेश कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म अल्सू, जिला मण्डी, हि०प्र०।
40.	श्री पंकज पटियाल	मत्स्य अधिकारी, खटियाड़, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
41.	श्री नितिन महन्त	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म धमवाड़ी, जिला शिमला, हि०प्र०।
42.	श्रीमति कविता भाटिया	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

43.	श्री दिलवर सिंह	उप-निरीक्षक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
44.	श्री निलमणी	उप निरीक्षक मत्स्य, कार्प फार्म बट्टीपुर, जिला सिरमौर, हि०प्र०।
45.	श्री बलजीत सिंह	उप निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
46.	श्री लेख राज	उप निरीक्षक मत्स्य, सांगला, जिला किन्नौर, हि०प्र०।
47.	श्री सूरम सिंह	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, मान्दली, जिला ऊना, हि०प्र०।
48.	श्री रमेश कुमार	उप निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, सुन्नी, जिला शिमला, हि०प्र०।
49.	श्री अमीचंद-II	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य कार्प फार्म बट्टीपुर, जिला सिरमौर, हि०प्र०।
50.	श्री राम दास	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, धमेटा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
51.	श्री मानव कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, हरीपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
52.	श्री अंकुश धीमान	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बरनाली, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
53.	श्री विवेक कमल	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जगातखाना, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
54.	श्री दीप कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बैरल, जिला सोलन, हि०प्र०।
55.	श्री गोपाल चन्द	उप-निरीक्षक मत्स्य, बटाहर, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
56.	श्री मुकेश कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य अधिकारी, मच्छयाल, जिला मण्डी, हि०प्र०।




3


वार्षिक योजना 2021-22 के लक्ष्य एवं प्राप्ति

क्र.सं.	मद	वार्षिक योजना 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक योजना 2021-22 की प्राप्ति
1.	मत्स्य उत्पादन (मीट्रिक टन)	16053.03	16015.81
2.	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	758.00	702.21
3.	ट्राउट ओवा उत्पादन (लाख)	18.20	25.35


Fish Production in MT



Carp Seed Production in Lakh



Trout Ova Production in Lakh




4

विभागीय उद्देश्य

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्धन से मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी करना;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदी नालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राउट व अन्य समशीतोष्ण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना;
- ट्राउट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मुलन में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्वर्धन को बढ़ावा देना।



नदीय मात्स्यिकी



जलाशय मात्स्यिकी

5

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्रोतों से 23355.83 लाख रुपये मूल्य की 16015.81 टन मछली का उत्पादन किया गया। विभागीय ट्राउट फार्मों से इस वर्ष 75.22 लाख रुपये मूल्य की 13.68 मीट्रिक टन खाने योग्य ट्राउट का उत्पादन किया गया है। इन फार्मों से विभाग को कुल 169.24 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी 5024.25 लाख रुपये कीमत की 913.50 मीट्रिक टन ट्राउट मछली का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में रेनबो ट्राउट के सफलतापूर्वक प्रजनन के परिणामस्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, कांगड़ा, किन्नौर चम्बा व सिरमौर जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राउट इकाईयों की स्थापना की गई है।
- इस वर्ष विभाग द्वारा सभी संसाधनों से 451.51 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है जोकि निर्धारित लक्ष्य 407.00 से 44.51 लाख रुपये अधिक है जिसके प्रमुख कारण विभागीय ट्राउट फार्म पतलीकूहल का कार्यात्मक होना व कोविड-19 महामारी का प्रभाव राज्य में कम होने के कारण इस वर्ष विभाग का राजस्व गत वर्ष से अधिक रहा।

- राज्य के प्रमुख जलाशयों में इस वर्ष 5957 (गोविन्दसागर 2343, कोलडैम 146, पौंगडैम 3144, चमेरा 245 व रणजीत सागर 79) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन माहीगीरों द्वारा 10.07 करोड़ रुपये मूल्य की 601.04 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है, जिससे मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है।



- विभागीय कार्प फार्मों से वर्ष 2021-22 में 702.21 लाख तथा निजी कार्प फार्मों से 10.35 लाख (कुल 712.56 लाख) मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।



- इस वर्ष 3678 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 165.51 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- वर्ष 2021-22 में विभागीय वार्षिक योजना बजट 779.38 लाख रुपये था। इसमें से 255.74 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना के अधीन व मु0 68.51 लाख रुपये जन-जातीय उपयोजना के अधीन व्यय किये गये हैं।
- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 553 नये रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- वर्ष 2020-21 के दौरान मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के शीतल जल के मछली उत्पादकों के पशुधन को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना (ट्राउट पशुधन बीमा योजना) शुरू की है। इस योजना की प्रीमियम राशि 65:35 के अनुपात में राज्य सरकार व लाभार्थी के बीच सांझा की जा रही है। इस वर्ष विभाग ने 15 मत्स्यपालकों द्वारा निर्मित

24 ट्राउट इकाईयों को बीमाकृत किया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम राशि मु0 19,175/- रुपये प्रति इकाई है।

- जलाशय के मछुआरों को 5.00 लाख रु0 की वित्तीय सहायता से 100 गिल नैट (गोबिन्द सागर और कोलडैम-45, पौंग डैम-35, चमेरा और रणजीत सागर-20) राज्य के सक्रिय जलाशय मछुआरों को प्रदान किये गए।



- प्रति वर्ष लगभग 3678 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को दो माह के बन्द



आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 4500/- रुपये प्रति मछुआरा की दर से वित्तीय सहायता प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना के घटक “मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक

मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता” के अंतर्गत प्रदान की जा रही है।

6

वार्षिक योजना 2021-22

हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के उपरान्त निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज देश के पहाड़ी राज्यों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में श्वेत क्रान्ति, हरित क्रान्ति आने के बाद अब प्रदेश नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए वार्षिक योजना 2021-22 में 779.38 लाख रुपये के संशोधित उद्ब्यय से निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं:



निर्देशन एवं प्रशासन



जलाशय संरक्षण



कार्प बीज उत्पादन



ट्राऊट बीज उत्पादन



कार्प बीज फार्मों का विस्तार



केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम “नील कान्ति” एकीकृत मात्स्यिकी विकास एवं प्रबंधन



प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना "PMMSY"



सामुदायिक तालाबों का निर्माण



जनजातीय उप योजना



मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

7

निर्देशन एवं प्रशासन

प्रदेश में नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय से मछली पालन विभाग के प्रमुख कार्य, “नदीय स्रोतों में परिग्रहण मात्स्यिकी” को बढ़ावा देना था तथा राज्य में विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण मत्स्य उत्पादन के नए स्रोत, जलाशयों के तौर पर उत्पन्न हुए हैं जिनसे वर्तमान में प्रदेश के कुल मत्स्य



उत्पादन का 3.75 प्रतिशत मत्स्य उत्पादन हुआ है। प्रदेश के निचले तथा ऊपरी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का तेज गति से उपयुक्त विकास करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के मात्स्यिकी संसाधनों पर दोहन का दबाव यद्यपि दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, परन्तु इनमें मत्स्य विकास व संरक्षण पर नियुक्त कर्मचारी बल की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है। इस वर्ष कुल स्वीकृत पदों में लगभग 132 पद खाली चल रहे हैं।

8


प्रमुख विभागीय योजनाएं

(क) अन्तर्देशीय जलाशयों में मात्स्यिकी का प्रबन्ध एवं विकास :

(1) जलाशय संरक्षण :-


प्रदेश के जलाशयों का प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इसी तरह ये संसाधन बांध विस्थापितों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध हो

रहे हैं। इन जलाशयों में मत्स्य उत्पादन की बढ़ौतरी के लिए 70 मि.मी. आकार से बड़ा मछली का बीज संग्रहित किया जा रहा है। जिसके भविष्य में बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आने की सम्भावना है।



वर्ष 2021-22 के दौरान मत्स्य उत्पादन एवं राजस्व प्राप्तियां:-

जलाशय का नाम	मत्स्य उत्पादन (मी० टन)	राजस्व (लाखों में)	बीज संग्रहण (लाखों में)
गोबिन्द सागर	269.32	63.37	22.78
पोंग डैम	254.60	99.25	12.99
चमेरा	2.82	1.23	2.40
रणजीत सागर	66.42	8.37	1.10
कोल डैम	7.88	14.09	7.76
कुल:	601.04	186.31	47.03



(2) कार्प बीज उत्पादन:-

राज्य में पहले ही सात कार्प बीज फार्म, घाघस दयोली (जिला बिलासपुर), अल्सू (जिला मण्डी), नालागढ़ (जिला सोलन), दयोली गगरेट (जिला ऊना), कांगड़ा जिला (कांगड़ा), सुल्तानपुर (जिला चम्बा) तथा मच्छयाल (जिला मण्डी) में स्थापित किये गये हैं तथा नया कार्प फार्म बदरीपुर (पौंटा साहिब) जिला सिरमौर में स्थापित किया गया है। मत्स्य बीज की बढ़ती मांग तथा राज्य में बहुतायत से पनबिजली परियोजनाओं के तैयार हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तम किस्म की मछली के बीज की आवश्यकता अत्याधिक बढ़ गई है। इस प्रयोजन से सभी फार्मों पर प्रबन्धन की दृष्टि से आवश्यक फेर-बदल किया जाना वांछित था।


राज्य में 'महाशीर' मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मछली प्रजाति का हिमाचल के मत्स्य फार्म, मच्छयाल (मण्डी) में सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है, जिससे मत्स्य आखेट को लाभ हो सके। इस वर्ष 93000 महाशीर मछलियों के अण्डों का उत्पादन किया गया। प्रदेश में मत्स्य क्रीड़ा को रुचिकर बनाये रखने से पर्यटन विकास में वृद्धि की जानी संभव है। इसलिए प्रदेश के नदीय स्त्रोंतों में मत्स्य बीज संग्रहित करना अतिआवश्यक है। महाशीर मछली प्रदेश के जलों की मूल मछली है। अतः प्रदेश के जलों को महाशीर मछली से भरपूर रखने के लिए इन जलों में फार्म से उत्पादित महाशीर मछली के क्षुद्रमीनों को संग्रहित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्प फार्मों में उत्पादित कार्प बीज भी संग्रहित किया जाता है।

इस वर्ष विभागीय कार्प बीज फार्मों से मार्च 2022 तक 702.21 लाख तथा निजी फार्मों से 10.35 लाख (कुल 712.56 लाख) कार्प मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। जिसको कि राज्य के मत्स्य किसानों को उपलब्ध करवाया गया।

योजना का नाम	वर्ष 2021-22 का बजट प्रावधान	वर्ष 2021-22 में व्यय
कार्प बीज उत्पादन	119.86 लाख	119.83 लाख

(क) विभागीय कार्प फार्म:

विभागीय कार्प फार्मों पर उत्पादित क्षुद्रमीनों का विवरण (लाखों में) इस प्रकार है:-



कार्प बीज फार्म उत्पादन

क्रमांक	विभागीय कार्प फार्म का नाम	बीज उत्पादन (लाखों में)
1.	दयौली (बिलासपुर)	167.00
2.	अल्सू (मण्डी)	104.07

3.	कांगड़ा	9.21
4.	सुल्तानपुर (चम्बा)	70.00
5.	नालागढ़ (सोलन)	166.00
6.	गगरेट (ऊना)	160.00
7.	बदरीपुर सिरमौर	25.00
8.	मच्छयाल (मण्डी)	0.93
	योग	702.21

(ख) क्रीड़ा मात्स्यिकी का प्रबन्धन एवं विकास:

विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने फार्मों के नवीनीकरण विस्तार एवं नए ट्राउट फार्मों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ट्राउट बीज का अधिक मात्रा में नदियों में संग्रहण किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रदेश में कार्यरत ट्राउट मत्स्य



Trout Farm Patlikuhal, Kullu

कृषकों की मांग को भी इन फार्मों से पूरा किया जा रहा है। इसलिए विभागीय ट्राउट फार्मों पतलीकूहल, हामनी, बरोट, सांगला, धमवाड़ी, थल्ला व भान्दल, में नवीनतम तकनीक से ट्राउट मत्स्य पालन किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश



Trout Farm Hamni, Kullu

बरसात के कारण जिला कुल्लू के पतलीकूहल नामक स्थान पर विभाग का सबसे बड़ा ट्राउट फार्म तथा जिला चम्बा में होली नामक ट्राउट फार्म पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिसका कार्य प्रगति पर है। पतलीकूहल फार्म को वर्ष 2020-21 में पुनः कार्यशील कर दिया गया है तथा होली फार्म भी कार्यशील

कर दिया जायेगा जिसका कार्य प्रगति पर है। इन फार्मों से उचित गुणवत्ता के बीज उत्पादन पर विभाग का विशेष ध्यान है ताकि निजी क्षेत्र में ट्राउट पालन को

बढ़ावा दिया जा सके। इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य 18.00 लाख कि तुलना में 25.35 लाख ट्राउट बीज का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के ट्राउट फार्मों से हुआ।


योजना का नाम	वर्ष 2021-22 का बजट प्रावधान	वर्ष 2021-22 में व्यय
ट्राउट बीज उत्पादन	109.59 लाख	109.57 लाख

(ग) वाणिज्यिक ट्राउट उत्पादन:


राज्य के ऊपरी ठंडे क्षेत्रों में जल संसाधनों के दोहन तथा मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता से राज्य में ट्राउट कृषि परियोजना की शुरुआत वर्ष 1989 में की गई थी जो वर्ष 1998 में पूर्ण हो गई। जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक ट्राउट फार्म, हैचरी, रेनबो ट्राउट, ओवा का उत्पादन एवं विकास, स्थानीय तौर पर मिलने वाले घटकों से कृत्रिम आहार का उत्पादन तथा परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना में से सभी को पूर्ण कर लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं को पार करते हुए रेनबो ट्राउट बीज व आहार के उत्पादन तकनीक को विकसित कर लिया गया है जोकि कुछ ही राज्यों के पास उपलब्ध है। इस तकनीक को मत्स्य कृषकों तक पहुंचाने में भी विभाग द्वारा कार्य किया गया है। वर्ष 2021-22 में विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य बीज व आहार उत्पादन बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राउट मत्स्य कृषकों को जोड़ना रहा है। वर्ष 2021-22 में निजी ट्राउट मत्स्य पालकों के फार्मों से कुल 913.50 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन हुआ जिसका मुल्य 5024.25 लाख रुपये है तथा यह उत्पादन वर्ष 2020-21 से 232.18 मीट्रिक टन अधिक है। विभागीय फार्मों से भी 169.24 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।



Table size Trout Production (in MT)



क्रम संख्या	ट्राउट फार्म का नाम	मत्स्य उत्पादन (टनों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
1.	पतलीकूहल (कुल्लू)	1.941	74.01
2.	हामनी (कुल्लू)	3.040	36.53
3.	बरोट (मण्डी)	2.582	23.67
4.	सांगला (किन्नौर)	0.855	10.65
5.	धमवाड़ी (शिमला)	1.295	15.70
6.	थल्ला (चम्बा)	0.342	6.00
7.	भान्दल (चम्बा)	0.258	2.67
8.	होली (चम्बा)	0.00	0.01
	कुल:-	10.131	169.24



(घ) कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख-रखाव:

यह तथ्य सर्वमान्य है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में गोल्डन महाशीर मछली क्रीड़ा मात्स्यिकी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ प्राकृतिक कारणों एवं बीज उत्पादन प्रणाली के विकसित न होने के कारण प्रदेश के जलों में इस प्रजाति की गुणात्मक और मात्रात्मक कमी हो रही है। प्रदेश के जलों में इस मछली की पुर्नस्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के उपयुक्त जलों में इस प्रजाति के फार्म पर उत्पादित अंगुलिकाओं का उचित मात्रा में संग्रहण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला मण्डी के मछियाल नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अर्न्तगत एक महाशीर मछली बीज फार्म का निर्माण किया गया है। जिसमें इस वर्ष 0.93 लाख बीज का उत्पादन किया गया।

योजना का नाम	वर्ष 2021-22 का बजट प्रावधान (लाखों में)	वर्ष 2021-22 में व्यय (लाखों में)
कार्प बीज फार्मों का विस्तार	23.41	23.39

(इ) अनुसूचित जाति उप योजना:

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचा करने में विशेष योगदान प्रदान करता है। व्यवसायिक मत्स्य पालन समाज के सभी कमजोर वर्गों की मूल आवश्यकता, उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। इस को मद्देनजर रखते हुए वार्षिक योजना 2021-22 में 255.74 लाख रुपये के संशोधित उद्ध्यय से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। जिसका निम्नलिखित विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

Budget sanctioned/expenditure incurred under Demand no-32 (SCDP) during financial year 2021-22											
Sr. No.	Detail of Scheme/SOE s	Original / Sanctioned Budget	Additio nal Budget	Revis ed Budg et	Physical Targets (No./Ha.)	Components of expenditure	Gol/GoHP Sanction/Directorate Endst. letter no /Date	Amou nt of Sancti on	Gol Installm ent/ Budget Alloted	Expendit ure as on dated:	Balan ce Budg et
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2405-00-789-02(SOON) Plan, Management and Development Carp Fish Farms.										
i)	09-Adv. & publicity	2.00	0.00	2.00	10	Exhibition Stalls	Budget Allocated to all field offices of the department.	2.00	0	2.00	0
ii)	20-Other Charges	2.00	0.00	2.00	800	Trainings		2.00	0	2.00	0
iii)	36-Minor Works	5.00	0.00	5.00	5	Repair Work of CP		5.00	0	5.00	0
iv)	63-Subsidy	5.00	0.00	5.00	100	Gillnets (Blp Rs..0.45 Lac+Chamba Rs.. 0.20 Lac + Pongdam Rs.0.35 Lac)	Fish-C-(2)-5/2018-Loose, date 28th June, 2021, Endst No. FSH-F(8)-4/78-(D)-IX-5219-25, dated: 08-07-2021	5.00	0	5.00	0
(A)	Total:-	14.00	0.00	14.00	915			14.00	0	14.00	0
2	2405-00-789-03-Plan; RKVY (Scheme has not been operated due to some administrative reasons as the Nodal Department i.e. Agriculture Deptt. not sanctioned targets for CFY)										
i)	63-Subsidy(C90N)	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	63-Subsidy(\$10N)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(B)	Total:-	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2405-00-789-08-(S50N) insurance of fishermen under PMJJBY										
i)	63-sub subsidy	3.00	0.00	0.00	The scheme has been discontinued by GOI			0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	(S50N)	1.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
*C	Total:-	4.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
4	2405-00-789-09-(S65N)-Plan, Insurance of Trout Live Stock										
i)	63-Subsidy (S65N)	2.00		0.75	Trout Live Stock Insurance Target-16 and achieved 06.	Trout live stock insurance premium Rs. 12464/- per raceway government share and 6711 beneficiary share.	No.Fish-C0-(01)-8/2021, dated 3rd september, 2021, endstt No. Fish-F(3)-108/2019-TD-XII-7866-69,	0.74783	0	0.74783	0
		0	Beneficiary contribution								

(D)	Total:-	2.00	2.00	0.75	16		Dated 03.09.2021 (Kuillu-3, Chamba-2 & Mandi-1)	0.75	0	0.75	0
5	2405-00-789-10-(C90N & S10N) Plan, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (CSS)										
i)	20-Additional charge (COON)	6.00	0.00	0.00				0	0	0	0
ii)	63-Subsidy(C90N)	197.00	0.00	0.00	Construction of ponds = 26	Financial release has not been received during FY 2021-22 from Gol for development of aquaculture in the state.		0.00	0.00	0.00	0.00
iii)	63-Subsidy(S10N)	18.50	0.00	0.32131	Insurance under PMSBY=4438	Registered fishermen engaged with accupassion of fisheries in state either in Genreal water and fish farmers of aquaculture.	GoHP No. Fish-F-(4)-2/2013-, dt. 01/07/2021 (Funds drawn at Directorate level by DDF(Hq.))	0.32131	0.00	0.32131	0.00
iv)	63-Subsidy(C53N)	24.00	0.00	23.00	Close season Assistance = 958 (Close season assistance paid to 121 fishers from FDF of SC working in Govind Sagar in addition to 958 fishermen)	28.74 lacs only for implementation of the activity namely livelihood and nutritional support for socio-economically backward active traditional schedule caste category fishers families for conservation of fisheries resources during fish ban/lean period under CSS on PMMSY during FY:2021-22	GoHP No. Fish-F-(4)-1/2021, dt. 06/01/2022, Endst. No FSH-F(3)-108/2021-TD-Vi-XI-540-45, dated 13.01.2022 Govind Sagar-536, Koldam-57, Pongdam-306, Chamera-42 & Ranjit Sagar Dam (Thein Dam)-17	23.00	0.00	22.99	0.00
v)	63-Subsidy(S13N)	6.00	0.00	5.75			Grand Total =958 (Financial Assistance are being provided through DBT on PFMS platform).	5.75	0	5.75	0
vi)	63-Subsidy(S20N)- PMBSY	0.50	0.00	0.00	0			0	0	0	0
(E)	Total:-	252.00	0.00	29.07	5422			29.0713	0	29.06131	0
7	4405-00-789-02-Buildings Fisheries, (SOON)-Plan ;										
i)	37-Major work	284.00	0.00	211.92	0	1) c/o fish rearing/nursery/s tocking ponds at carp fish farm, badripur, district sirmour Rs. 25.00 Lakh 2) repair and renewal of water supply at Trout Fish fArm Patlikuhl Rs. 169.00	1) GoHP No. Fish-C-(5)-1/2010-(14), dt. 28/06/2021, Endst. No FSH-F(3)-108/2014-TD-Badripur-5169-73,dated:07-07-2021 2)GoHP No. Fish-C-(2)-5/2018, dt. 24/10/2021 & Dte.ends. No FSH-F(3)-108/2021-TD-	211.92	0	211.92	0

							9325-28,dated: 07.10.2021				
						3) Rs.17.92 only for establishment of State of Art Fisheries Training Centre at Gagret in District Una.	3)GoHP No. Fish-C-(5)- 2/2020-Loose, dt. 26/03/2022 & Dte.ends. No FSH-F(3)- 108/2021-TD- Patlikuhai- 2251-57,dated: 26.03.2022				
Total:-	284.00	0.00	211.9 2	0.00	0.00	0.00	0.00	211.9 2	0.00	211.92	0.00
G.Total:-	582.00	2.00	255.7 4	6353.00	0.00	0.00	0.00	255.7 4	0.00	255.73	0.00

(च) जनजातीय क्षेत्र उप योजना:

हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्र में किन्नौर, लाहौल व स्पिति तथा चम्बा जिले के भरमौर व पांगी क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण क्षेत्रफल का 42.4 प्रतिशत है। जन जातीय क्षेत्र में सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाव के उपरी भाग आते हैं। जिनमें ट्राउट पालन की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें जैसे चंद्रताल (4000 मीटर), माने (4300 मीटर), नाको (4100 मीटर) इत्यादि हैं। इन झीलों में ट्राउट का संग्रहण करके ट्राउट पालन आरंभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र में 5 एकीकृत जनजातीय परियोजनाओं में से केवल एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर तथा लाहौल व स्पिति के लिए ही तीन मत्स्य अधिकारियों के पद स्वीकृत है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर (थल्ला) में एक मत्स्य अधिकारी नियुक्त है। जनजातीय क्षेत्र में मत्स्य विकास को तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से वांछित गतिशीलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इस योजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के होली में ट्राउट फार्म स्थापित किया गया है, जो वर्ष 2018 के दौरान बरसात में बाढ़ आने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसका कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष के दौरान ट्राउट बीज फार्मों के उचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि छोटी-बड़ी सभी नदियों में ट्राउट बीज की आवश्यकता को पूरा कर सके। चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र के जलों में ट्राउट बीज की मांग को पूरा करने के लिए भरमौर क्षेत्र के होली तथा थल्ला नामक स्थान पर एक एक ट्राउट फार्म बना दिया गया है। इस वर्ष इस स्कीम में केन्द्र सरकार से विशेष सहायता के रूप में स्वीकृत गैर जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जनजातियों से सम्बन्धित इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए विभाग द्वारा मांग

संख्या-31 के अन्तर्गत निम्न लिखित योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

Budget sanctioned/expenditure incurred under Demand no-31(TASP) during financial year 2021-22											
Sr. No.	Detail of Scheme/SOEs	Original / Sanctioned Budget	Add./Sur. Budget Rs.	Revised Budget Rs.	Physical Targets (No./ Ha.)	Components of expenditure	GoI/GoHP Sanction/Directorate Endst. letter no /Date	Amount of Sanction	GoI Installment	Expenditure as on 31st March	Balance Budget Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	2405-00-796-03-A00S-Plan; Expenditure on fisheries under SCA in Chamba & Bhatyat pockets										
i)	63-Subsidy	1.00	0.00	0.00	Budget has been surrendered due to non-approval of project proposals in relevant scheme by Nodal department.						
(A)	Total:-	1.00	0.00	0.00							
2)	2405-00-796-04(AOOS)-Plan ;Expenditure on fisheries under SCA (c/o Trout Raceways including input cost)										
i)	63-Subsidy	1.00	0.00	0.00	Budget has been surrendered due to non-approval of project proposals in relevant scheme by Nodal department.						
(B)	Total:-	1.00	0.00	0.00							
3)	2405-00-796-05-A00S-Plan; Expenditure on fisheries under SCA for disperse tribes (OTA)										
i)	63-Subsidy	1.00	0.00	0.00	Budget has been surrendered due to non-approval of project proposals in relevant scheme by Nodal department.						
(C)	Total:-	1.00	0.00	0.00							
4)	2405-00-796-06-Plan; RKVY										
i)	63-Subsidy(C90N)	8.00	0.00	0.00	Budget has been surrendered due to non-approval of project proposals in relevant scheme by Nodal department.						
ii)	63-Subsidy(S10N)	1.00	0.00	0.00							
(D)	Total:-	9.00	0.00	0.00							
5)	2405-00-796-08-plan; Insurance of Fishermen under PMJJBY										
i)	63-Subsidy(S50N)	1.00	0.00	0.00	Budget surrendered as the scheme has been discontinued by government of India.						
(E)	Total:-	1.00	0.00	0.00							
6)	2405-00-796-09-(S65N)-Plan, Insurance of Trout Live Stock										
i)	63-Subsidy(S65N)	2.00	0.00	0.25	16	Trout live stock insurance	GoHP Letter no. Fish-CD-(01)-B/2021, dated03.09.2021 & endst no. FSH-F(3)-107/2019-TD-XII-7870-73, dated 03.09.2021 (Payment Drawn at directorate level by DDF(Hq.) (Chamba -2	0.25	0.00	0.25	0.00
(E)	Total:-	2.00	0.00	0.25	16		0.25	0.00	0.25	0.00	

							beneficiaries)				
7)	2405-00-796-10-Plan, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (CSS)										
i)	63-Subsidy(C90N)	75.00	0.00	0.00	3			0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	63-Subsidy(S10N)	7.00	0.00	0.03	364	0.02635	GoHP Letter no. Fish-F-(4)-2/2013, dated 01-07-2021 (Fishermen insurance premium as state share Rs. 7.24 per fishers)	0.02635	0.00	0.02635	0.00
iii)	63-Subsidy(C53N)	4.00	0.00	3.39	141	Close season assistance to ST beneficiaries	GoHP Letter no. Fish-F-(4)-1/2021, dated 06-01-2022 & endst no. FSH-F(3)-108/2021-TD-VI-XI-546-51, dated 13.01.2022 (Gobind Sagar-135, Pongdam-3 & Chamera-3)	3.384	0.00	3.384	0
iv)	63-Subsidy(S13N)	1.75	0.00	0.85				0.846	0.00	0.846	0.00
v)	63-Subsidy(S20N)	0.25	0.00	0.00	0	Budget surrendered due to non-finalization of PMSBY at government of India level					
vi)	20-other charges (COON)	2.00	0.00	0.00	0			0.00	0.00	0.00	0.00
F)	Total:-	90.00	0.00	4.27	508.00		0	4.256	0.00	4.256	0.00
8)	2415-01-796-06(SOON) PLAN										
i)	42-GIA(non-salary)	5.00	0.00	5.00	DDF(HQ) allotted Rs. 5.00 Lac HPKVV for performing research work on fisheries rs. 5.00 lac	GoHP Letter no. Fish-C-(1) - 2/2020, Dt.28/06/2021 & Dte.endst.no FSH-F(8)-4/78-D-IX-5150-53, Dt.07/07/2021	5.00	0.00	5.00	0.00	
G)	Total:-	5.00	0.00	5.00			5.00	0.00	5.00	0.00	
4405-796-01-Building Programme:37-Major Work											
9)	37-Major work	59.00	0.00	59.00	Providing of water supply scheme to fish farm- Holi in GP, Holi, Tehsil-Bharmaour, District-Chamba, HP	Sanctioned by ADM-Bharmour vide letter no. Fish/Bhr?Budget-2021-22/298/2021-22-2933-38, dated: 24-11-2021 (Rs. 39.00	59.00	0.00	59.00	0.00	

						Lacs only)				
					Additional water supply from intake to trout farm-Thalla for hatchery	Sanctioned by ADM-Bharmour vide letter no. Fish/Bhr?Budg et-2021-22/298/2021-22-2933-38, dated: 24-11-2021 (Rs. 10.00 Lacs only)				
					c/o Car Parking, Chowkidar Hut, Annexie for driver and glazing in basement floor of Angling Hut at Bharmour, District-Chamab, HP	Sanctioned by ADM-Bharmour vide letter no. Fish/Bhr?Budg et-2021-22/298/2021-22-2933-38, dated: 24-11-2021 (Rs. 10.00 Lacs only)				
H)	Total:-	59.00	0.00	59.00			59.00	0.00	59.00	0.00
Total:(A+B+C+D+E+F+G+H)		169.00	0.00	68.52			68.506	0.000	68.506	0.000

(छ) मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना:

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को वर्ष 2021-22 में मु0 19.20 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी स्वीकृति प्रतिक्रित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य से सम्बन्धित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं को वैज्ञानिक आधार पर आधारित तकनीक द्वारा एकत्रित करना तथा किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन की क्षमताओं का आंकलन करना है।

(ज) मत्स्य अनुसंधान 'हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय:

मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को मत्स्य अनुसंधान हेतु वर्ष 1981-82 से अनुदान प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को प्रदेश के विविध जलवायु के अनुरूप मत्स्य पालन हेतु तकनीक विकसित कर मछली

रोगों की रोकथाम पर अनुसंधान का दायित्व दिया गया है, अनुसंधान कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः अनुदान प्रणाली आगामी वर्षों में भी जारी रखी जाएगी। इस वर्ष 5.00 लाख रुपये के प्रावधान से पूर्ण राशि विश्वविद्यालय को मार्च, 2022 तक अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

9

विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

(क) माहीगीर समूह दुर्घटना बीमा योजना:

प्रदेश के मछुआरों को मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर कमशः उनके आश्रितों या उनके अपने जीवनयापन के लिए इस नील क्रांति मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फैंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों व मत्स्य पालकों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है। इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी है। बीमित माहीगीर की मृत्यु अथवा 100 प्रतिशत स्थाई विकलांगता की दशा में उसे/उसके आश्रितों को 5,00,000/- रुपये तथा आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में उसे 2,50,000/- रुपये दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा उपचार हेतु 25,000/- रुपये भी प्रदान किये जाते हैं।

(ख) मछुआरा जोखिम निधि योजना:

मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किस्तियों और तम्बुओं से हाथ धोना पड़ता है। मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए “मछुआरा जोखिम निधि” की स्थापना की गई है। प्राकृतिक आपदाओं



से क्षतिग्रस्त संयंत्रों की मरम्मत हेतु इन संयंत्रों के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत भाग इनको मरम्मत हेतु इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है। इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य मछुआरा अनुज्ञापति पत्र प्राप्त करते समय 20 रुपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है।

(ग) जलाशय मछुआरों के लिए अंशदायी बन्द सीजन राहत योजना:

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक संबर्धन द्वारा वशवृद्धि करने के लिए राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह वर्जित काल राज्य के सभी सार्वजनिक जलों में लागू है। इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द सीजन के समय बेरोजगार हो जाते हैं। जलाशय के इन मछुआरों को बन्द सीजन की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत एक अंशदायी आर्थिक सहायता स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाशयों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 150/- रुपये प्रतिमाह अपना अंशदान इस कोष में जमा करवाता है।



इस प्रकार से जमा कुल राशि में केन्द्र सरकार 2400/- रुपये प्रति माहीगीर और प्रदेश सरकार 600/- रुपये / माहगीर अपना अंशदान जमा करते हैं। इस प्रकार से एकत्रित कुल अंशदान 4500/- रुपये प्रति माहीगीर को दो माह के मछली पकड़ने के बन्द सीजन में कमशः 2250-2250/- रुपये वितरित किये जाते हैं। इस स्कीम में केवल वही माहगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में संलिप्त नहीं होते हैं। वर्ष 2021-22 में 3556 मछुआरों को इस योजना के अधीन कुल 3678 (3557 राज्य बजट

और 121 एफ़डीएफ़ (एससी) मछुआरों को इस योजना के तहत 165.51 लाख रुपये (106.71 राज्य बजट, 3.63 एफ़डीएफ़ (एससी) बजट और 55.17 मछुआरा शेयर) वितरित किया गया है।

नील क्रान्ति मिशन

नील क्रान्ति मिशन-एकीकृत मात्स्यिकी विकास एवम् प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सकें। इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा योजना प्रायोजित के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के जल संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। नील क्रान्ति मिशन प्रदेश में वर्ष 2016-17 में शुरू हुआ तथा इसका मुख्य लक्ष्य देश तथा प्रदेश में रह रहे मछुआरों व मत्स्य पालकों का आर्थिक उत्थान करना एवम् जल संसाधनों का पूर्ण एवम् सही उपयोग करके भोजन तथा पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। मात्स्यिकी क्षेत्र में भविष्य में उच्च सम्भावित विकास के मध्यनजर माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने इस क्षेत्र में एक क्रान्ति का अह्वान किया है जिसे “नील क्रान्ति” नाम दिया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय के पशुपालन एवं दुग्ध तथा मात्स्यिकी विभाग द्वारा भारत वर्ष में संचालित सभी योजनाओं का पुनर्गठन करके एक नई योजना के अधीन इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका नाम नील क्रान्ति मिशन है पुनर्गठित योजना का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों की मछली का उचित विकास एवं प्रबन्धन करना है। इस योजना के तहत सरकार तथा लाभार्थी के बीच में 40:60 अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

नील क्रान्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान कुल व्यय राशि मु0 1610.64 लाख क्रमशः मु0 644.91, 811.55 और 154.18 लाख व्यय की गई। जिसके द्वारा राज्य में मत्स्य तालाबों (33.57 है0), स्टिल आउटलेट (03 इकाईयां), ट्राउट रेसवेज (479 इकाईयां), फीड मिलें (15 इकाईयां), ट्राउट व कार्प हैचरियां (28 इकाईयां), विभागीय कार्प फार्म नालागढ़ में RAS (Recirculating Aquaculture System) तथा

ड्राउट फार्म पतलीकुहल में 01 ड्राउट प्रसस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है। जिससे राज्य के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं व अन्य वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस योजना के तहत राज्य के 400 जलाशय माहीगीरों को आवास प्रदान किए गए। यह योजना वर्ष 2019-20 में बंद हो गई है।

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई स्कीम प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2021-22 में प्रथम चरण में केन्द्रीय अनुदान सहायता के लिए भेजे गए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों में से भारत सरकार द्वारा मु० 2566.00 लाख की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। जिस में से मु० 1232.54 लाख केन्द्र भाग, मु० 136.95



लाख राज्य भाग तथा मु० 1196.51 लाख लाभार्थी भाग है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बन्द सीजन “मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता” हेतु स्वीकृत कुल केन्द्र भाग की राशि में से कुल मु० 85.368 लाख रुपये (मु० 58.992 लाख सामान्य योजना, मु० 22.902 लाख अनुसूचित जाति योजना तथा मु० 3.384 लाख अनुसूचित जन-जाति योजना) की राशि भी जारी की है। प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 की भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक घटक बार स्वीकृति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

Sr. No.	Name of activity	Categories	Total Unit (No/Ha)	Unit Cost as per PMMSY (Rs in lakhs)	Total Project cost	Central share	State share	Beneficiary share
1	Establishment of New Freshwater Fin Fish Hatcheries	Women	2	25.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		Sub-Total	2		50.00	27.00	3.00	20.00

2	Construction of New ponds	General	9.4	8.40	78.96	28.43	3.16	47.38
		Women	6.5	8.40	54.60	29.48	3.28	21.84
		SC	3.1	8.40	26.04	14.06	1.56	10.42
		ST	1	8.40	8.40	4.54	0.50	3.36
		Sub-Total	20		168.00	76.51	8.50	82.99
3	Inputs for fresh water Aquaculture including Composite fish culture, Scampi, Pangasius, Tilapia etc.	General	9.4	4.00	37.60	13.54	1.50	22.56
		Women	6.5	4.00	26.00	14.04	1.56	10.40
		SC	3.1	4.00	12.40	6.70	0.74	4.96
		ST	1	4.00	4.00	2.16	0.24	1.60
		Sub-Total	20		80.00	36.43	4.05	39.52
4	Construction of Biofloc ponds for Freshwater areas including inputs of Rs. 4 lakhs/ Ha	General	5	14.00	70.00	25.20	2.80	42.00
		Women	7	14.00	98.00	52.92	5.88	39.20
		Sub-Total	12		168.00	78.12	8.68	81.20
5	Establishment of Trout Fish Hatchery	General	2	50.00	100.00	36.00	4.00	60.00
		Women	2	50.00	100.00	54.00	6.00	40.00
		ST	1	50.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		Sub-Total	5		250.00	117.00	13.00	120.00
6	Construction of Raceways of Minimum of 50 Cubic meter	General	68	3.00	204.00	73.44	8.16	122.40
		Women	54	3.00	162.00	87.48	9.72	64.80
		SC	32	3.00	96.00	51.84	5.76	38.40
		ST	34	3.00	102.00	55.08	6.12	40.80
		Sub-Total	188		564.00	267.84	29.76	266.40
7	Inputs for Trout Rearing Unit	General	68	2.50	170.00	61.20	6.80	102.00
		Women	54	2.50	135.00	72.90	8.10	54.00
		SC	32	2.50	80.00	43.20	4.80	32.00
		ST	34	2.50	85.00	45.90	5.10	34.00
		Sub-Total	188	10.00	470.00	223.20	24.80	222.00
8	Establishment of Large RAS for Cold Water (with 10 tank of minimum 50m3/tank capacity and fish production capacity of 10 Ton/Crop)	Women	2	50.00	100.00	54.00	6.00	40.00
		Sub-Total	2	50.00	100.00	54.00	6.00	40.00
9	Promotion of recreational Fisheries	General	1	50.00	50.00	18.00	2.00	30.00
		Sub-Total	1	50.00	50.00	18.00	2.00	30.00
10	Establishment of Medium RAS (with 6 tank of minimum 30m3/tank capacity 10ton/Crop)	Women	2	25.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		Sub-Total	2		50.00	27.00	3.00	20.00
11	Establishment of small Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.m high)	General	3	7.50	22.50	8.10	0.90	13.50
		Women	7	7.50	52.50	28.35	3.15	21.00
		SC	1	7.50	7.50	4.05	0.45	3.00
		ST	0	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub-Total	11		82.50	40.50	4.50	37.50
12	Establishment of Medium	General	1	25.00	25.00	9.00	1.00	15.00

	Biofloc (25 tanks of 4m dia and 1.5m high)	Women	2	25.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		Sub-Total	3		75.00	36.00	4.00	35.00
13	Ice Plant/ storage of minimum 10 tonne capacity.	General	1	40.00	40.00	14.40	1.60	24.00
		Women	2	40.00	80.00	43.20	4.80	32.00
		Sub-Total	3		120.00	57.60	6.40	56.00
14	Motor Cycle with Ice Box	General	46	0.75	34.50	12.42	1.38	20.70
		Women	12	0.75	9.00	4.86	0.54	3.60
		SC	19	0.75	14.25	7.70	0.86	5.70
		ST	5	0.75	3.75	2.03	0.23	1.50
		Sub-Total	82		61.50	27.00	3.00	31.50
15	Three wheeler with Ice Box including e-rickshaws for fish vending	General	6	3.00	18.00	6.48	0.72	10.80
		Women	1	3.00	3.00	1.62	0.18	1.20
		SC	2	3.00	6.00	3.24	0.36	2.40
		Sub-Total	9		27.00	11.34	1.26	14.40
16	Mini Feed Mills of Production capacity of 2 ton/day	General	1	30.00	30.00	10.80	1.20	18.00
		Women	2	30.00	60.00	32.40	3.60	24.00
		SC	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ST	1	30.00	30.00	16.20	1.80	12.00
		Sub-Total	4		120.00	59.40	6.60	54.00
17	Construction of fish kiosks including kiosks of aquarium/ornamental fish	General	3	10.00	30.00	10.80	1.20	18.00
		Women	5	10.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		SC	1	10.00	10.00	5.40	0.60	4.00
		ST	1	10.00	10.00	5.40	0.60	4.00
		Sub-Total	10		100.00	48.60	5.40	46.00
A	Total beneficiary activities recommended by PAC				2536.00	1205.54	133.95	1196.51
18	Support to states for import of Germplasm	State	800	0.04	30.00	27.00	3.00	0.00
B	Total non- beneficiary activities		800		30.00	27.00	3.00	0.00
	Grand total recommended by PAC (A+B)				2566.00	1232.54	136.95	1196.51

10

प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार

- **ई-समाधान:** मत्स्य विभाग में ई-समाधान प्रणाली को आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष में ई-समाधान के अन्तर्गत जो शिकायतें प्राप्त हुईं उन सभी का निपटारा कर दिया गया है।
- **ई-सर्विस:** कार्यालय प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग में ई-सर्विस प्रणाली भी आरम्भ कर दी गई है व इस कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

- **ई-लाईसेंस:** इस सेवा से राज्य तथा राज्य के बाहर व विदेशों से आने वाले एंगलर पर्यटकों को उनके घर पर ही बिना किसी असुविधा के लाईसेंस उपलब्ध करवाने कि सेवा शुरू करने का प्रयत्न किये जा रहे हैं।
- **ई-कार्यालय:** विभाग जल्द निदेशालय स्तर पर होने वाले कार्यों को सभी शाखाओं में पेपर लेस करनी के प्रयास कर रहा है और जल्द ही इस सेवा को लागू किया जाएगा।

11

वर्ष 2021-22 के वित्तीय प्रावधान

(i) वित्तीय प्रावधान:

क्र०	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2021-22 के वित्तीय प्रावधान (राशि लाख में)
1.	निदेशन एवं प्रशासन	..
2.	जलाशय मात्स्यिकी का विकास एवं प्रबन्ध (जलाशय संरक्षण व मत्स्य बीज उत्पादन)	120.00
3.	क्रीड़ा मात्स्यिकी का विकास एवं रख-रखाव (ट्राउट बीज फार्म)	110.00
4.	कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख-रखाव	25.00
5.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	2.00
6.	800- अन्य व्यय	
	(a) मछुआरों का रिस्क फण्ड	3.36
	(b) मछुआरों का कल्याण SCSP	..
	(c) मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना	95.00
7.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	67.00

8.	अन्तः स्थलीय मत्स्य सांख्यिकी का प्रबन्ध एवं विकास (केन्द्रीय योजना)	0.00
9.	एकीकृत मत्स्य विकास एवं प्रबन्धन (नील कान्ति मिशन)	0.00
10.	PMMSY	658.00
11.	अनुसूचित जाति उप योजना	255.74
12.	जनजातीय उप योजना	68.52
	कुल योग :-	1284.62

12

सूचना का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 खण्ड 4 (1) (बी) के अन्तर्गत सूचना

(i) विभाग के कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदी नालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राउट व अन्य समशीतोष्ण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीडा मत्स्य को बढ़ावा देना, विशेषतः ट्राउट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;

- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्बर्धन को बढ़ावा देना

कर्तव्य :-

ऊपर कहे गये विभाग के सभी कार्यों के लिए योजनाओं की व्यवस्था करना और हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020 को लागू करना।

(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:

अधिकारियों की शक्तियां:-

अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड-I और खण्ड-II में की गई है। अन्य कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य कार्यालय पुस्तिका में समय-समय पर संशोधन कर विचार-विमर्श करके हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार कार्यालय पुस्तिका में जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग के पत्र संख्या-Fin-F(A)-(II)-11/2004 Dated 3rd June 2014, के अनुसार वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी को नियुक्त कर दिया है।

क्र.सं.	अधिकारों के प्रकार	अधिकारी जिसको अधिकार सौंपा गया है।	अधिकार की सीमा
कार्यालय खर्च			
1.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की देखभाल	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी

		सहायक निदेशक मत्स्य	द्वारा स्वीकृति
2.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की खरीद	समस्त उप-निदेशक मत्स्य सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
3.	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत सेवा प्रदाता को सेवाओं के बाहरी स्रोत से सेवाएं प्रदान करने हेतु भुगतान करना	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
4.	स्थानीय स्टेशनरी की छोटी-मोटी खरीद	समस्त उप-निदेशक मत्स्य सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

1. मोटर वाहन

1.	मुख्य, अतिरिक्त सामान और उपयोग करने योग्य साधनों के लिए	समस्त उप-निदेशक मत्स्य सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
2.	पी.ओ.एल. के लिए	समस्त उप-निदेशक मत्स्य सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

2. सामग्री और आपूर्ति

1.	मत्स्य आहार, मछली पकड़ने के उपकरण और अन्य उपकरण	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
----	---	--	--

3. रख-रखाव

1.	इस मद में मुरमम्त व रख-रखाव में हुए व्यय को शामिल किया गया है। जिसमें मजदूरी व सामग्री भी सम्मिलित है।	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
		समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

4. मशीनरी और उपकरण

1.	गैर उपभोगीय वस्तुएं जैसे फार्मों में प्रयोग होने वाले मछली जाल, अन्य संयंत्र व उपकरण	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
----	--	--------------------------------	--

13

अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश:

❖ विभाग का मुखिया।

- ❖ राज्य में अन्तर्देशीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी और शीत जल एक्वाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाना।
- ❖ मछुआरों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना मछुआरों की सहायता करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजनाएं बनाना, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार और विकासशील योजनाओं की व्यवस्था करना और कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ❖ राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करना।
- ❖ योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखना।
- ❖ बजट और लक्ष्यों का आबंटन।
- ❖ चल रहे नये कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना।
- ❖ आर.टी.आई. के अन्तर्गत मत्स्य विभाग का पहला appellant अधिकारी।

संयुक्त निदेशक मत्स्य, हिमाचल प्रदेश:

- ❖ राज्य में अन्तर्देशीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी और शीत जल एक्वाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना।
- ❖ प्रशासनिक शाखा से संबंधित सभी कार्यों के प्रबंधन में निदेशक एवं प्रारक्षी का सहयोग करना और कार्यों को निपटाना।
- ❖ राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करवाना।
- ❖ योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखवाना।
- ❖ बजट और लक्ष्यों का आबंटन करने में निदेशक एवं प्रारक्षी का सहयोग करना।
- ❖ चल रहे नये कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना।

उप-निदेशक मत्स्य:

- ❖ विभिन्न प्रकार की योजनाओं और स्कीमों को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना।

- ❖ निदेशक मत्स्य के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना ।
- ❖ उनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मत्स्य स्कीमों के बजट पर नियन्त्रण ।
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा आहरण एवं वितरण अधिकारी स्टाफ उनके अधीन ।
- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनीकी और प्रशासनिक नियन्त्रण और स्टाफ के कार्य पर उनका नियन्त्रण ।
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना ।
- ❖ सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त ।

अधीक्षक ग्रेड-1:

- ❖ प्रशासनिक शाखा से सम्बन्धित सभी कार्यों का निरीक्षण ।
- ❖ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालक सहित कार्य नियुक्त करना तथा इनके कार्यों का निरीक्षण करना ।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि सभी डीलिंग हैण्ड तथा डायरिस्ट सभी रजिस्ट्रों को बनाये रखें तथा समय में अपडेट करते रहें ।
- ❖ विभिन्न शाखाओं तथा उच्च अधिकारियों के बीच आने जाने वाली डाक व फाइलों पर नजर रखना ।
- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित करना ।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्ट्रों को सम्भालकर रखा जाए ।

सहायक निदेशक मत्स्य:

- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनीकी/प्रशासनिक नियन्त्रण तथा स्टाफ के कार्य का नियन्त्रण ।
- ❖ मत्स्य निदेशक के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना ।
- ❖ अपने अधीन विभिन्न प्रकार की मत्स्य योजनाओं का बजट पर नियन्त्रण ।
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा स्टाफ उनके अधीन ।

- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना ।
- ❖ पन विद्युत परियोजनाओं का उनके क्षेत्रों पर प्रभाव का मूल्यांकन तथा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना ।
- ❖ मछली पालकों को उच्च गुणवत्ता की मछली बीज आपूर्ति करना और तकनीकी सहायता देना ।
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020 को लागू करना
- ❖ मछुआरों को लाईसेंस जारी करना ।
- ❖ आर.टी.आई. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त ।

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी:

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना ।
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना ।
- ❖ कम्पोनैन्ट प्लान के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना ।
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न उपदान मसलों को क्रियान्वित करना ।
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना ।
- ❖ इनके न्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना ।
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना ।
- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनीकी सहायता मुहैया करना ।
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है ।

मत्स्य अधिकारी:

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना ।
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना ।

- ❖ अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी तथा शीत जल एक्वाकल्चर का प्रबन्धन एवं विकास।
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न उपदान मसलों को क्रियान्वित करना।
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना।
- ❖ इनके न्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना।
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना।
- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनीकी सहायता मुहैया करना।
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

उप-निरीक्षक मत्स्य:

- ❖ अवतरण केन्द्रों पर आने वाली मछली का विवरण रखना।
- ❖ मत्स्य अधिनियम व नियमों को लागू करना।
- ❖ मत्स्य अधिकारी तथा वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी को मत्स्य फार्मों या हैचरी के प्रबन्धन में सहायता करना।

क्षेत्रीय सहायक/मत्स्यजीवि:

- ❖ नदीय व मात्स्यिकी का संरक्षण।
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट व विक्रय को रोकना।
- ❖ विभागीय एक्वाकल्चर योजनाओं का विस्तार कार्य करना।
- ❖ मत्स्य फार्मों का रख-रखाव, जलापूर्ति, आहार, मछली की विक्री, टैंकों या रेसवे की सफाई अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य।

फार्म सहायक:

- ❖ मत्स्य पालन पर मत्स्य धन की देख-रेख।
- ❖ मछली के आहार एवं प्रजनन में सहायता।
- ❖ मछली बीज इत्यादि की पैकिंग।

- ❖ फार्मों पर नियुक्त मत्स्यजीवियों अथवा क्षेत्रीय सहायकों के कार्यों का निरीक्षण।

विभागीय आहार संयन्त्र मकैनिक:

- ❖ विभागीय आहार संयन्त्र को चलाना जो ट्राउट फीड उत्पादन हेतु प्रयोग की जाए।
- ❖ आहार संयन्त्र की छोटी-मोटी मरम्मत।

पम्प ऑपरेटर/हैल्पर:

- ❖ फार्म की जलापूर्ति बनाये रखने के लिए पानी के पम्पों को सुचारु रूप से चलाना।
- ❖ फार्म की मशीनरी को चलाने के लिए मकैनिक की सहायता करना।

अधीक्षक ग्रेड-II:

- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित करना।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्ट्रों को सम्भालकर रखा जाए।

निजी सहायक:

- ❖ निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की बैठकों का विवरण रखना।
- ❖ निदेशक के फोन कॉल को लेना।
- ❖ निदेशक द्वारा दिया गया श्रुति लेखन।
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा दिये गये अन्य कार्य प्रभार।

वरिष्ठ सहायक:

- ❖ नस्तियों को खोलना व कायम रखना, नस्तियों की नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा रिकॉर्डिंग देखना, अपनी सम्बन्धित शाखा के विभिन्न रजिस्ट्रों को बनाये रखना तथा उनका डाटा अपडेट करना।

- ❖ भर्ती या पदोन्नति नियमों, सेवा पुस्तिका का रख-रखाव, लीव अकाउन्ट का सर्विस रिकॉर्ड तैयार करना, पेंशन कागजात तैयार करना, अनुशासनात्मक मामलों तथा निजी नस्त्रियों इत्यादि सहित स्थापना मामले।
- ❖ तकनिकी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों की आय स्थायीकरण नियुक्ति, स्थानान्तरण, वरिष्ठता सुनिश्चित करना तथा ए.सी.पी. के मामले, कोर्ट मामले तथा अन्य मिश्रित मामले।

कनिष्ठ आभियन्ता (सिविल)

- ❖ विभागीय निर्माण कार्यों के लिए अनुमान तैयार करना।
- ❖ वह 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य विभागीय अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का प्राक्कलन तैयार करना।
- ❖ सहायक अभियन्ता (सिविल) की देखरेख में कार्य करना।
- ❖ निदेशक (मत्स्य पालन) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य।

सांख्यिकी सहायक:

- ❖ सांख्यिकी शाखा से सम्बन्धित सभी कार्य
- ❖ मत्स्य से सम्बन्धित सभी प्रतिवेदनों का युक्तिकरण
- ❖ विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

वरिष्ठ आशुलिपिक/आशुटंकक:

- ❖ अधिकारियों द्वारा दिया गया श्रुति लेखन व टंकण कार्य।
- ❖ विभाग का अन्य टंकण कार्य।
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

कनिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0 टी0)/ लिपिक:

- ❖ उन्हें सौंपा गया सभी टंकण कार्य।
- ❖ सूचना/रिपोर्ट तैयार करने में तथा रजिस्ट्रों को रखने में वरिष्ठ सहायक की सहायता करना।
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

चौकीदार:

- ❖ चौकीदार रात के समय कार्यालय परिसर/मछली फार्म की देख रेख करना।
- ❖ रात के समय पानी की आपूर्ति आदि की देखभाल करना।
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

कार्यवाहक:

- ❖ कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में नस्तियों का लाना ले जाना।
- ❖ अन्य स्थानीय कार्यालयों में सम्बन्धित पत्रों को पहुंचाना।
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

(i) निरीक्षण और जवाबदेही सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुकरणीय कार्यप्रणाली / प्रक्रिया :-

विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं राज्य सरकार के व्यय की वार्षिक सूची में प्रदान की जाती हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सभी प्रस्तावों को सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद ही वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। क्रियान्वित योजनाएं निम्नलिखित हैं।

❖ एक्वाकल्चर योजना :-

सभी पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों, राज्य तथा जिला स्तरीय मेलों की प्रदर्शनियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से योजनाओं को प्रचारित किया जाता है। मत्स्य क्षेत्रीय सहायक मामलों को क्रियान्वित करने में सहायक होता है तथा उसके बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी /सहायक निदेशक मत्स्य भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करने के बाद उस स्थान का निरीक्षण करता है। अनुमान पत्र जूनियर इंजीनियर के द्वारा तैयार किये जाते हैं। वित्तीय सहायता काम की प्रगति और प्रावधान के अनुसार जारी की जाती है।

निर्माण कार्य विभाग / लोक निर्माण विभाग / ब्लॉक के जूनियर इंजीनियर द्वारा अन्तिम रूप से जांचा जाता है और अन्तिम भुगतान काम के पूरा होने के पश्चात् अनुमान के अनुसार जारी किया जाता है।

जूनियर इंजीनियर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है, इसके साथ-साथ कार्य में किसी भी प्रकार की हानि या अवनति के लिए क्षेत्र के सहायक

निदेशक मत्स्य / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / मत्स्य अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

❖ **मछुआरा कल्याणकारी योजनाएं :-**

सभा तथा क्षेत्र के लैण्डिंग केन्द्र के मत्स्य अधिकारी के सुझाव के बाद जलाशयों में मछुआरों की पहचान मछुआरा सहकारी समीति के स्तर पर की जाती है। आवेदन सुझावों के साथ सम्बन्धित जलाशय के सहायक निदेशक मत्स्य को प्रेषित किये जाते हैं।

❖ गिल नैट और कास्ट नैट इत्यादि के रेट / फर्म का अनुमोदन राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करके निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय खरीद कमेटी द्वारा किया जाता है। आपूर्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के द्वारा मछुआरों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर्ता को दिया जाता है और सामग्री सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा जांच करके प्राप्त की जाती है और तब इसको मत्स्य अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित मछुआरों को वितरित किया जाता है।

❖ इसी प्रकार योजना के तहत प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

❖ कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी हानि या चूक के लिए सभी सम्बन्धित जवाबदेह हैं।

(ii) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड :-

विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार विभागीय कार्यों का निर्वहन किया जाता है :-

❖ निदेशालय विभिन्न स्कीमों और योजनाओं के अन्तर्गत सभी नियन्त्रित अधिकारियों के लक्ष्य और बजट आबंटित करता है। उपलब्धि बजट उपयोगिता, मछली उत्पादन, बीज उत्पादन, राजस्व और रोजगार वृद्धि लक्ष्य के सन्दर्भ में प्रगति की समीक्षा द्वारा आंकी जाती है।

❖ फार्म प्रभारी (मत्स्य अधिकारी/वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी) फार्म के लिए निर्धारित मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। बीज जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राज्य के मत्स्य उत्पादकों को बेचा जाता है। इन फार्म प्रभारियों के लिए भी

मछली उत्पादन जैसे कार्य और साथ ही ट्राऊट उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है।

- ❖ इसी प्रकार जलाशय के प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य को राज्य के मत्स्य उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मछली उत्पादन का लक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- ❖ मछली उत्पादन के लक्ष्यों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला मुखिया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए साल के लिए निर्धारित इम्पलाईमेंट जनरेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है।

(iii) कार्यों के निर्वाहन के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयोग करने अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने हेतु नियम, व्यवस्था, निर्देश, पुस्तकें अथवा रिकार्ड :

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विभागिय कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित नियम व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती है।

- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020
- ❖ सी.सी.एस. अवकाश नियम
- ❖ सी.सी.एस. और सी.सी.ए. नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. नियम और कोष नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. और एस.आर. नियम
- ❖ मैडिकल उपस्थिति नियम
- ❖ सामान्य वित्तीय नियम
- ❖ एच.बी. एडवांस नियम
- ❖ वित्तीय शक्तियों का आबंटन
- ❖ छुट्टी यात्रा रियायत नियम
- ❖ बजट पुस्तिका
- ❖ कार्यालय पुस्तिका
- ❖ वाहन नियम
- ❖ पेंशन नियम
- ❖ जी.पी.एफ. नियम

(iv) विभाग द्वारा अथवा इसके नियंत्रण के अन्तर्गत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्य में उपयुक्त होने वाले दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियों का उचित विवरण, जो इसके नियन्त्रण में हैं, निम्न प्रकार से है :-

खाता :

- ❖ मासिक लेखा
- ❖ व्यय विवरणी
- ❖ रोकड़ वही
- ❖ रसीद बुक
- ❖ चैक बुक
- ❖ बजट नस्ति
- ❖ सी.ए.जी की रिपोर्ट
- ❖ लेखा परीक्षा रिपोर्ट

स्थापना :

- ❖ डाक प्राप्ति / प्रेषण रजिस्टर
- ❖ आकस्मिक छुट्टी लेखा रजिस्टर
- ❖ हाजरी पंजिका
- ❖ कर्मचारी सेवा पुस्तिका
- ❖ कर्मचारी विवरणी की सूची

विविध :

- ❖ सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं और स्कीमों के अन्तर्गत वार्षिक बजट की पुस्तिका को निर्धारित करना
- ❖ विभाग में प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत मुख्य कार्यों की सूची बनाना
- ❖ विभाग में कार्यान्वयन के तहत मछुआरों और मत्स्यजीवियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम और नियम

- ❖ विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- ❖ नस्तियों के प्रधान रजिस्टर
- ❖ वाहनों की लॉग बुक
- ❖ डाक टिकट रजिस्टर
- ❖ विधानसभा और संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नस्तियां
- ❖ विधान सभा समीति की रिपोर्ट

उपरोक्त दस्तावेज, आदेशों की पुस्तिका, विशेष वर्णन, नियमावली निदेशालय के साथ / समस्त उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालयों में सहज ही उपलब्ध है।

- (v) विभागीय नीतियों अथवा उस पर कार्यान्वयन व्यवस्था के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श अथवा प्रस्तुतिकरण के लिए किसी व्यवस्था का विस्तृत विवरण:

विभाग की वेब साइट www.hpfisheries.nic.in सामान्य जनता के लिए जानकारी प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है और विभाग द्वारा चलाई जा रही नीतियों दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करती है। माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता के तहत सभी विधायकों के साथ “राज्य स्तर की योजना बैठक” प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। विभाग भी सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करता है जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए जाते हैं, जिला स्तर 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति और शिकायत समिति का गठन भी सरकार के द्वारा किया गया है जिनमें जनता के प्रतिनिधियों की सदस्यता है और त्रैमासिक बैठकें जिला स्तर पर होती हैं।

- (vi) दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जो परामर्श के उद्देश्य से विभाग के एक भाग के रूप में गठित हो सकते हैं इन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें समय के अनुसार सार्वजनिक जनता के लिए खुली है, या ऐसी बैठकों के प्रारूप जनता के लिए प्राप्त करने योग्य होते हैं अथवा नहीं :-

निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:-

शीर्ष समितियां :

- (a) जलाशय विकास समिति
- (b) जल-विद्युत परियोजना के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र समिति

निदेशालय स्तर की समितियां :

- (a) सामग्री खरीद समिति
- (b) विभागीय पदोन्नति समिति
- (c) जोखिम निधि समिति

जिला स्तर की समिति :

- (a) सामग्री खरीद समिति

उपरोक्त सभी समितियों की बैठकों के साथ-साथ उनके प्रारूप विभागिय पदोन्नति समिति के अलावा सार्वजनिक जनता के लिए प्राप्त हैं।

(vii) अधिकारियों और कर्मचारियों की विवरणी :

कं.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	01	01	0
2.	संयुक्त निदेशक (हि०प्र०प्रशा० सेवा) मत्स्य निदेशालय (मु०)	01	01	0
3.	उप-निदेशक मत्स्य	02	02	0
4.	अधीक्षक ग्रेड-1	01	01	0
	जोड़	05	05	00
5.	सहायक निदेशक मत्स्य	11	07	04
6.	अनुभाग अधिकारी(एस.ए.एस)	01	01	0
7.	अधीक्षक ग्रेड-II	04	04	0
8.	निजी सहायक	01	01	0
	जोड़	17	13	04

9.	जूनियर अभियंता (सिविल)	02	02	0
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	07	07	0
11.	मत्स्य अधिकारी	33	17	16
12.	वरिष्ठ सहायक	09	09	0
13.	सांख्यिकी सहायक	02	02	0
14.	वरिष्ठ आशु लिपिक	01	0	01
15.	उप-निरीक्षक मत्स्य	17	14	03
16.	आशु टंकक	01	01	0
17.	जूनियर असिस्टेंट/लिपिक	21	12	09
18.	कार्यालय कनिष्ठ सहायक (आई0 टी0)	18	02	16
19.	फार्म सहायक	15	15	0
20.	चालक	10	05	05
21.	मोटर बोट चालक	04	03	01
22.	मकैनिक (ऑटो)	01	01	0
23.	सेल मैन/लिपिक	01	0	01
24.	फीड मील मकैनिक	01	01	0
25.	पम्प ऑपरेटर	01	01	0
	जोड़	144	92	52
26.	क्षेत्रीय सहायक	140	79	61
27.	मत्स्यजीवी	52	45	07
28.	फिल्डमैन (Fieldman)	03	0	03
29.	कार्यवाहक	23	21	02
30.	चौकीदार	14	14	00
31.	चौकीदार-एवं-सफाई कर्मचारी	01	0	01
32.	क्लीनर	01	0	01
33.	स्वीपर	01	0	01
	जोड़	235	159	76
	अंतिम जोड़	401	269	132

(viii) मौजूदा नियमों के अनुसार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सहित प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त वेतन :-

क्र.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	01.01.2006 के अनुसार वेतनमान	01.01.2016 के अनुसार वेतनमान	लेवल
श्रेणी-I				
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	37400-67000	123100-209600	28
2.	सयुक्त निदेशक (हि०प्र०प्रशा० सेवा)	15600-39100	67400-201200	21
3.	उप-निदेशक मत्स्य	10300-34800	53600-170100	17
4.	अधीक्षक ग्रेड-1	15600-39100	56100-177500	18
श्रेणी-II				
5.	सहायक निदेशक मत्स्य	10300-34800	46000-146500	13
6.	अनुभाग अधिकारी (एस.ए. एस)	10300-34800	48700-154300	16
7.	अधीक्षक ग्रेड-II	10300-34800	48200-152400	15
8.	निजी सहायक	10300-34800	48200-152400	15
श्रेणी-III				
9.	जूनियर अभियंता (सिविल)	10300-34800	38500-122700	11
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	10300-34800	38500-122700	11
11.	मत्स्य अधिकारी	10300-34800	38100-120400	10
12.	वरिष्ठ सहायक	10300-34800	46000-146500	13
13.	सांख्यिकी सहायक	10300-34800	38500-122700	11
14.	वरिष्ठ आशु लिपिक	10300-34800	46000-146500	13
15.	उप-निरीक्षक मत्स्य	5910-20200	25600-81200	6
16.	आशु टंकक	5910-20200	21300-67800	5
17.	जूनियर असिस्टेंट	5910-20200	38100-120400	10
18.	लिपिक	5910-20200	20200-64000	3

19.	जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आई0टी0)	5910-20200	20600-65500	4
20.	फार्म सहायक	5910-20200	20200-64000	3
21.	चालक	5910-20200	25600-81200	6
22.	मोटर बोट चालक	5910-20200	20200-64000	3
23.	मकैनिक (ऑटो)	5910-20200	20200-64000	3
24.	सैल्समैन-कम-लिपिक	5910-20200	20200-64000	3
25.	फीड मील मकैनिक	5910-20200	20200-64000	3
26.	पम्प ऑपरेटर	5910-20200	20200-64000	3
श्रेणी-IV				
27.	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	4900-10680	18000-56900	1
28.	मत्स्यजीवी	4900-10680	18000-56900	1
29.	फिल्डमैन	4900-10680	18000-56900	1
30.	क्लीनर	4900-10680	18000-56900	1
31.	कार्यवाहक	4900-10680	18000-56900	1
32.	चौकीदार	4900-10680	18000-56900	1
33.	चौकीदार-कम-स्वीपर	4900-10680	18000-56900	1
34.	स्वीपर	4900-10680	18000-56900	1

(ix) अपनी प्रत्येक शाखा को निर्धारित बजट, सभी योजनाओं के विवरण को प्रकाशित करना, प्रस्तावित व्यय और भुगतान पर रिपोर्ट भेजना:

वर्ष 2021-22 में अपने प्रत्येक कार्यालय को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं (Plan Schemes) का लेखाशीर्ष वार विवरण :

उप-निदेशक मत्स्य (मु0), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु0 में)	व्यय 31.03. 2022 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	2,23,69,290	2,23,67,391

2	2405-00-001-02(SOON)	13,81,542	13,81,486
3	2405-00-101-03(SOON)	41,842	41,830
4	2405-00-101-09(S65N)	1,99,420	1,99,420
5	2405-00-101-10(S10N)	59,788	59,788
6	2405-00-101-10(S13N)	14,74,800	14,74,800
7	2405-00-101-10(S53N)	58,99,200	58,99,200
8	2405-00-109-02(SOON)	1,99,975	1,99,975
9	2405-00-800-01(SOON)	2,36,960	2,36,960
10	2059-01-053-07(SOON)	2,83,000	2,83,000
11	2405-00-796-01(SOON)	6,94,249	6,94,107
12	2405-00-796-09(S65N)	24,928	24,928
13	2405-00-796-10(S10N)	2,635	2,635
14	2405-00-796-10(S13N)	84,600	84,600
15	2405-00-796-10(S53N)	3,38,400	3,38,400
16	2415-00-796-06(SOON)	5,00,000	5,00,000
17	2405-00-789-09(S65N)	74,783	74,783
18	2405-00-789-10(S10N)	32,131	32,131
19	2405-00-789-10(C53N)	22,99,200	22,99,200
20	2405-00-789-10(C13N)	5,74,800	5,74,800
21	2405-00-789-02(SOON)	17,92,000	17,92,000
कुल जोड़:		3,85,63,543	3,85,61,434

उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल (कुल्लू)

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03. 2022 तक
--------	-------------	--------------------------	------------------------

1	2405-00-001-02(SOON)	1,32,16,552	1,32,16,496
2	2405-00-001-03(SOON)	1,02,80,600	1,02,80,525
3	4405-00-101-02(SOON)	1,69,00,000	1,69,00,000
4	4405-00-101-03(SOON)	34,50,000	34,50,000
कुल जोड़:		4,38,47,152	4,38,47,021

सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03. 2022 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	72,000	71,994
2	2405-00-001-02(SOON)	1,20,45,049	1,20,43,178
3	2405-00-101-02(SOON)	10,25,799	10,25,794
4	2405-00-101-03(SOON)	1,19,061	1,19,061
5	4405-00-101-03(SOON)	20,00,000	20,00,000
6	2405-00-101-04(SOON)	1,46,500	1,46,500
7	2235-60-800-07(SOON)	2,910	2,815
8	2058-00-101-07(SOON)	3,500	3,500
9	4405-00-796-01(SOON)	59,00,000	59,00,000
10	2405-00-796-02(SOON)	23,28,346	23,27,083
11	2405-00-789-02(SOON)	1,40,000	1,39,997
कुल जोड़:		2,37,83,165	2,37,79,922

सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल, बिलासपुर

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03. 2022 तक
1	2405-00-001-02(SOON)	2,08,41,780	2,06,85,060

2	2405-00-001-02(SOON)	62,71,482	62,71,447
3	2405-00-001-04(SOON)	33,50,000	3,35,000
4	4405-00-101-02(SOON)	2,00,000	2,00,000
5	4405-00-101-03(SOON)	4,66,915	4,66,915
6	2216-05-053-03(SOON)	4,82,000	4,82,000
7	2235-60-800-07(SOON)	8,74,980	8,71,481
8	2058	9,000	9,000
9	2405-00-789-02(SOON)	2,50,000	2,50,000
10	2405-00-001-01	73,000	73,000
	कुल जोड़:	3,28,19,157	2,96,43,903

सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम जिला कांगड़ा

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03. 2022 तक
1	2405-00-001-02(SOON)	1,22,27,236	1,21,47,776
2	2405-00-101-02(SOON)	39,48,105	39,45,966
3	2405-00-789-02(SOON)	2,75,000	2,75,000
4	2405-00-800-07(SOON)	86,500	78,500
	कुल जोड़:	1,65,36,841	1,64,47,242

सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर जिला कांगड़ा

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03.2022 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	47,656	47,656
2	2405-00-001-02(SOON)	71,54,428	71,23,368
3	2405-00-101-02(SOON)	1,07,733	1,07,659
4	2405-00-101-03(SOON)	1,37,712	1,37,597

5	2405-00-101-04(SOON)	1,87,882	1,87,882
6	4405-00-101-04(SOON)	13,00,000	13,00,000
7	2235-60-800-07(SOON)	6,08,126	6,08,126
8	2058	3,500	3,500
9	2405-00-789-02	15,000	15,000
10	2405-00-789-02	39,000	39,000
11	2405-00-789-02	1,00,000	1,00,000
	कुल जोड़:	97,01,037	96,69,788

सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन (जिला सिरमौर)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03. 2022 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	66,300	66,295
2	2405-00-001-02(SOON)	27,48,528	27,47,666
3	2405-00-101-02(SOON)	8,745	8,729
4	2405-00-101-03(SOON)	28,525	28,521
5	2405-00-101-04(SOON)	4,69,130	4,69,123
6	2235-60-800-07(SOON)	37,256	37,256
7	2058-	3,000	3,000
8	2405-00-789-02(SOON)	1,44,000	1,44,000
9	4405-00-789-02(SOON)	25,00,000	25,00,000
	कुल जोड़:	60,05,484	60,04,590

सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03. 2022 तक
---------	-------------	--------------------------	------------------------

1	2405-00-001-01(SOON)	1,71,500	1,71,496
2	2405-00-001-02(SOON)	59,06,757	53,69,587
3	2405-00-101-02(SOON)	1,49,767	1,49,678
4	2405-00-101-03(SOON)	2,99,538	2,79,471
5	4405-00-101-03(SOON)	10,00,000	10,00,000
6	2235-60-800-07(SOON)	3,08,754	3,08,754
7	2405-00-796-01(SOON)	6,83,389	6,83,389
8	2405-00-796-02(SOON)	33,40,277	31,35,645
9	2405-00-789-02(SOON)	52,000	52,000
10	2058-	3,500	3,500
	कुल जोड़:	1,19,15,482	1,11,53,520

सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी

क्र.सं	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03.2022 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	1,51,934	1,51,846
2	2405-00-001-02(SOON)	1,00,83,393	1,00,83,253
3	2405-00-001-02(SOON)	19,33,428	19,33,428
4	2405-00-101-02(SOON)	2,75,166	2,74,666
5	2405-00-101-04(SOON)	5,55,782	5,55,751
6	2059-	6,87,000	6,87,000
7	2058-	3,500	3,500
8	4405-00-101-03(SOON)	37,48,000	37,48,000
9	2235-60-800-07(SOON)	2,69,371	2,69,320

10	2405-00-786-02(SOON)	1,59,000	1,59,000
	कुल जोड़:	1,78,66,574	1,78,65,764

सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03.2022 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	94,000	94,000
2	2405-00-001-02(SOON)	52,70,734	52,70,037
3	2405-00-101-02(SOON)	85,315	85,315
4	2405-00-101-03(SOON)	70,000	70,000
5	2405-00-101-04(SOON)	3,81,347	3,81,347
6	2235-60-800-07(SOON)	81,239	81,103
7	2235-60-200-12(SOON)	1,00,000	1,00,000
8	2058-	3,500	3,500
9	2405-00-789-02-09	15,000	15,000
10	2405-00-789-02-20	10,000	10,000
	कुल जोड़:	61,11,135	61,10,302

सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03.2022 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	53,78,737	53,72,641
2	2405-00-001-02(SOON)	1,34,474	1,34,474
3	2405-00-101-02(SOON)	1,13,319	1,13,319
4	2405-00-101-04(SOON)	2,63,800	2,63,799

5	2405-00-789-02(SOON)	1,33,998	1,33,998
6	2235-60-800-07(SOON)	37,272	37,272
7	2058-	3,500	3,500
	कुल जोड़:	60,65,100	60,59,003

सहायक निदेशक मत्स्य, हमीरपुर

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03.2022 तक
1	2405-00-001-02(SOON)	20,39,076	20,39,076
2	2405-00-789-02(SOON)	30,000	30,000
	कुल जोड़:	20,69,076	20,69,076

(x) आबंटित राशि सहित अनुदान कार्यक्रमों को लागू करने का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :-

आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थियों का चयन उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य / मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा किया जाता है और सम्पूर्ण मामला सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य / उप-निदेशक मत्स्य को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। आर्थिक सहायता सुविधा का विस्तार नियमों के अन्तर्गत सीमाओं के भीतर रहकर निर्धारित किया जाता है।

(xi) विभाग द्वारा छूट, स्वीकृतियां अथवा अधिकार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण :-

विभाग द्वारा कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की जाती।

(xii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी के सम्बन्ध में विवरण :-

❖ विभागीय स्कीमों के बारे में जानकारी विभागीय वेब साईट <http://hpfisheries.nic.in> पर ली जा सकती है।

❖ विभाग की वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

(xiii) एक पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम के कार्य सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए जनता के प्रयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

विभाग से सम्बन्धित सूचना विभाग की वेब साइट <http://hpfisheries.nic.in> में देखी जा सकती है। कोई भी नागरिक इस सूचना को प्राप्त कर सकता है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में जनता के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या रीडिंग रूम की सुविधा या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(xiv) नाम, पद और अन्य जन सूचना अधिकारियों का विवरण :-

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश

राज्य स्तरीय

अपील सम्बन्धी अधिकारी	पद और कार्यालय पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	दूरभाष/फैक्स नम्बर
पहला अपील अधिकारी	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य निदेशालय मत्स्य पालन, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	fisheries-hp@nic.in	01978-224068 (कार्यालय) 223390 (घर) मोबाईल-94180-07615

राज्य स्तरीय

पी.आई. ओ./ए. पी.आई. ओ.	पद और कार्यालय का पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	कार्यालय दूरभाष नम्बर
पी.आई. ओ.	उप-निदेशक मत्स्य (मु0) निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश-174001	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	ddfsheries-bil-hp@nic.in	01978-223212 (कार्यालय)
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य (मु0)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	adfisheries-bil-hp@nic.in	01978-223212

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(20 सूत्रीय)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	adfisneriestp-bil-hp@nic.in	(कार्यालय) 01978-223212 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	अधीक्षक ग्रेड-I निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	---	01978-223212 (कार्यालय)

जिला स्तर

कं.सं.	पद और कार्यालय का पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	कार्यालय दूरभाष नम्बर
जिला बिलासपुर				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर	जिला बिलासपुर	adfisneries1-bil-hp@gov.in	01978-222568 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी दियोली (घाघस)	मत्स्य फार्म दियोली (घाघस)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी लठियानी, जिला ऊना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, लठियानी
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी भाखड़ा, जिला बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, भाखड़ा
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी संरक्षण, बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बिलासपुर
ए.पी. आई.ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, मान्दली	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, मान्दली
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, जगातखाना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, जगातखाना
जिला मण्डी				

पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मण्डी	जिला मण्डी	adf-mandi-hp@nic.in	01905-235141 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी	कार्प मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी	ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी
जिला कुल्लू				
पी.आई.ओ.	उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	जिला कुल्लू	ddfisheries-kul-hp@nic.in	01902-240163 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पतलीकुहल, जिला कुल्लू	इण्डो ट्राऊट फार्मिंग प्रोजेक्ट पतलीकुहल	...	01902-240163 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू	बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, हामणी, जिला कुल्लू	हामणी, जिला कुल्लू
पोंगडैम				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पोंगडैम, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा	adfisheries-pong-hp@nic.in	01893-201282 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमेटा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, धमेटा
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, देहरा
ए.पी.	मत्स्य अधिकारी,	मत्स्य लैडिंग


आई.ओ.	ज्वाली, जिला कांगड़ा	केन्द्र, ज्वाली		
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नगरोटा सूरियां
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, बरनाली, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बरनाली
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, नन्दपुर, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नन्दपुर
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, हरिपुर, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, हरिपुर
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, डाडा सिब्बा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, डाडा सिब्बा
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, हरसर, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, हरसर
जिला चम्बा				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा	adfisheries-cha-hp@ nic.in	01899- 223801 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म, होली, जिला चम्बा	ट्राऊट फार्म, होली,
हमीरपुर और कांगड़ा (पौंगडैम सहित)				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर,	जिला कांगड़ा (पौंग जलाशय)	adfisheries-pal-hp@ nic.in	01894- 231872

	जिला कांगड़ा	सहित) और हमीरपुर		(कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर	जिला हमीरपुर
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर	जिला पालमपुर
ए.पी. आई.ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, कांगड़ा	मत्स्य फार्म, कांगड़ा
जिला किन्नौर और शिमला				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला-5	जिला शिमला और किन्नौर	adfish-sml-hp@ nic.in	0177- 2830171 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, शिमला	जिला शिमला
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमबाड़ी	ट्राउट फार्म, धमबाड़ी
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, सांगला	ट्राउट फार्म, सांगला
जिला सिरमौर और सोलन				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन स्थित शामती, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश	जिला सोलन और सिरमौर	adfisheries- sol-hp @nic.in	01792- 229454 (कार्यालय) 01702. 224985
ए.पी. आई.ओ.	जूनियर असिस्टेंट, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सोलन	जिला सोलन		01792- 229454 (कार्यालय)
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702. 224985 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	लिपिक, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सिरमौर	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702. 224985 (कार्यालय)
जिला ऊना				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना, हिमाचल प्रदेश	जिला ऊना	adfisheries- una-hp@nic.in	01975- 227792 (कार्यालय)

ए.पी. आई. ओ.	जूनियर असिस्टेंट, सहायक निदेशक मत्स्य ऊना	जिला ऊना	---	01975- 227792 (कार्यालय)
ए.पी. आई. ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना	जिला ऊना	...	01975- 227792 (कार्यालय)

वर्ष 2021-22 में सेवा निवृत्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारी 2021-22 की सेवा निवृत्तियां (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक)

कं.सं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति वर्ष 2021-22
1.	बिहारी लाल	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	30/06/2021
2.	अमीचंद	उप-निरीक्षक मत्स्य	31/08/2021
3.	सुरेन्द्र लाल	उप-निरीक्षक मत्स्य	30/09/2021
4.	तपेश चौहान, सहायक निदेशक	सहायक निदेशक मत्स्य	30/09/2021
5.	तृप्ता देवी,	वरिष्ठ सहायक	30/09/2021
6.	हरि सिंह	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	30/09/2021
7.	रानी बाला	अधीक्षक ग्रेड-II	31/10/2021
8.	जसवंत सिंह,	मोटर बोट चालक	31/10/2021
9.	देव सैन नेगी	अधीक्षक ग्रेड- I	31/12/2021
10.	शिव नंद	चौकीदार	31/12/2021
11.	राजेश कुमार	अधीक्षक ग्रेड- II	28/02/2022
12.	श्याम लाल	उप-निरीक्षक मत्स्य	28/02/2022



Phone-n-Fax: 01978-224068

E-Mail: fisheries-hp@nic.in

Website: <http://hpfisheries.nic.in>

Facebook: <https://www.facebook.com/Department-of-Fisheries-Himachal-Pradesh-104201692278667/>

Twitter: <https://twitter.com/DoFishHP>

Instagram: <https://www.instagram.com/?hl=en>

Youtubebe: <https://www.youtube.com/channel/UCdfeW62EVyMAAZNpmvc6lYg>

2021-2022